रजिस्टर्ड

राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति–4/मृ.आ.नि./13/2016/ 20498-507 दिनांकः 21-11-17

आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।अभ्यर्थी को विभागान्तर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशनट्रेनी) पर निम्न शर्तो/नियमों/प्रावधानों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन उसके नाम के सम्मुख कार्यालय में कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–II) के रिक्त पद पर किया जाता हैः–

क. स.	नाम मृतक आश्रित व मृतक कर्मचारी से संबंध	मृतक कार्मिक का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मृत्यु दिनांक एवं मृतक से संबंध	संवर्ग	आश्रित की जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–II)के पद पर पदस्थापन स्थान
1	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्रश्री ईश्वरसिंह पति स्व श्रीमती सुमन <u>पता</u>–निवासी– गांव सारंगपुर पो0 नन्दगांव तहसील चरखीदादरी जिला भिवानी–हरियाणा	स्व. श्री मति सुमन आयुर्वेद चिकित्सक राजकीय आयुर्वेद औष. किठाना–झुन्झुनु मृत्यु दिनांक 29.01.16	सामान्य	20.01.1987	सीनियर सैकेण्डरी	कार्यालय– जिला आयुर्वेद अधिकारी अजमेर

नोट:–उक्त मृतक आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति निम्न शर्तो/नियमों/प्रावधानों के अध्यधीन रहेगी :–

1. उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांकःएफ.1(2) एफडी/रूल्स/06/दिनांकः 13.3.06, एफ–16(2)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांकः 13.3.06,एफ.13 (1) एफडी. रूल्स/2003 दिनांकः13.3.06, एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांकः13.3.06 एवं एफ.16(5)एफ.डी.रूल्स/98 दिनांकः13.3.06 के अन्तर्गत तथा समय–समय संशोधित नियमों/प्रावधानों के तहत होगी ।
2. अभ्यर्थी को परिविक्षाकाल में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.151(1) एफडी (रूल्स)2017 दिनांकः 30.10.17 के अनुसार नियम–16 के तहत् राशि रूपये–**14600/– (चौदह हजार छः सौ मात्र रूपये मात्र) मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं इसी अधिसूचना के तहत अन्य नियम/प्रावधान लागू होंगे ।**
3. कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की सन्तोषप्रद सेवायें पूर्ण करने पर इन्हे कनिष्ठ सहायक की नियमित पे मेट्रिक्स लेवल–5 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।
4. अभ्यर्थी को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांकः 19.8.10, 21.9.10 के अनुसार एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.17 के तहत कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष के भीतर उतीर्ण करना अनिवार्य होगी। परीक्षा उतीर्ण नहीं करने पर नियमानुसार अनुकम्पा नियमों के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
5. मृतक के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का उचित रूप से भरण पोषण करने में असफल रहने पर इन्हे नियमानुसार सेवा से हटाया जा सकेगा ।
6. कार्मिक विभाग के परिपत्र प.5(51) कार्मिक/88/पार्ट दिनांकः 21.9.10 के तहत अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(2) कार्मिक/ए–II/2006, दिनांकः 5.7.10 के अनुरूप सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी को नियुक्ति के उपरान्त एक वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर कोर्स उतीर्ण करना अनिवार्य होगा । असफल होने पर बिना युक्तियुक्त कारणों के अभाव में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी तथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी ।
7. ड्युटी जोईनिंग पर किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

लगातार......

अभ्यर्थी दिनांक 07.12.2017 तक अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख पदस्थापित कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। ड्युटी जोईन/उपस्थिति ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अधिकारी (हैड आफ आफिस) उल्लेखित मूल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के तहत जांच/परीक्षण कर नियुक्ति प्रकिया की अन्य पूर्तियॉ पूरी करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर डयूटी पर लिया जावे ।

1. सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी **स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र** ।
2. आयु व शैक्षणिक **योग्यता के मूल प्रमाण पत्र** ।
3. **संबंधित गृह जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ।**
4. दो राजत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ।
5. आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करने सम्बन्धी **शपथ–पत्र** ।
6. **कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक** प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04–10–2013 के अनुसार नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी से धुमपान एवं गुटका सेवन न करने के संबंध में वचनबंध (Undertaking) प्राप्त करे ।
7. उक्त आशार्थीयों से विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर लिया जावे ।
8. उपर्युक्त आशार्थीयों की नियुक्ति **स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण** तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र, **सन्तोषजनक पाये जाने के अध्याधीन रहेगी ।**
9. कार्मिक विभाग के **नोटिफिकेशन कमांक** एफ. 5(51)डीओपी/ए–II/88/पार्ट जयपुर दिनांक 08–04–2015 के द्वारा **राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों** के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम– 1996 के नियम–5 में **संशोधन अनुसार मृतक आश्रित से ड्युटी जोईनिग के समय** मृतक **कर्मचारी पत्नी एवं उसका कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य–सरकार अथवा केन्द्र या राज्य–सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद ही ड्युटी जोईन करावे । यदि मृतक आश्रित की नियुक्ति (ड्युटी जाईनिंग दिनांक) तक मृतक आश्रित परिवार का कोई सदस्य केन्द्र या राज्य–सरकार अथवा केन्द्र या राज्य–सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित होने पर अनुकम्पा नियुक्ति** देय नहीं हे। इसलिये कार्मिक विभाग के उक्त संशोधन आदेश की पालना संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लेवे।

(स्नेहलता पंवार)
नि दे श क

कमांकः प.1/प्रति–4/मृ.आ.नि./13/2016/ 20498-507 दिनांक 21-11-17

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर
3. जिला पुलिस अधीक्षक, भिवानी–हरियाणा को पुलिस सत्यापन हेतु ।
4. निजी सहायक, निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर ।
5. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग अजमेर
6. जिला आयुर्वेद अधिकारी झुन्झुनु
7. जिला आयुर्वेद अधिकारी अजमेर को दी जाकर लेख है कि **उक्त उल्लेखित मूल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के परिपेक्ष्य में जांच/परीक्षण कर नियुक्ति प्रकिया की अन्य पूर्तियॉ पूरी करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर डयूटी पर लिया जावे** तथा वर्णित दस्तावेजों की आप द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ कार्यग्रहण करने की सूचना/रिपोर्ट उपलब्ध करावें ।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
9. प्रभारी, गोपनीय शाखा आयुर्वेद निदेशालय अजमेर / सहायक प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
10. संबंधित मृतक आश्रित **श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह** निवासी– गांव सारंगपुर पो0 नन्दगांव तहसील चरखीदादरी जिला भिवानी–हरियाणा
11. संबंधित पत्रावली ।

सहायक निदेशक